(सूचना का अधिकार अधिनियम–2005)
जजशिप हरिद्वार

1. लोक प्राधिकारी– जनपद न्यायाधीश, हरिद्वार।
2. विभागीय अपील अधिकारी– सिविल जज, हरिद्वार।
3. द्वितीय अपील – राज्य सूचना आयोग, देहरादून।
4. लोक सूचना अधिकारी का पता– लोक सूचना अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक कार्यालय, जिला न्यायालय, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
5. सहायक लोक सूचना अधिकारी का पता– प्रबन्धक /प्रस्तुतकर्ता /सहायक लोक सूचना अधिकारी अपर जिला एवं सत्र न्यायालय रूड़की, जनपद – हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
6. शुल्क प्रति अनुरोध–पत्र (सू0 का अधि0) रू.10/(दस रूपये मात्र) यह शुल्क नगद/डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चैक /पोस्टल आर्डर के द्वारा जो लोक प्राधिकारी, जजशिप हरिद्वार के नाम हो जमा किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त 10/रू. का गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर भी अपनी प्रार्थना लिखकर जमा किया जा सकता है। (सूचना देने हेतु लगने वाले अन्य व्यय/शुल्क के निर्णय के बारे में लोक सूचना अधिकारी द्वारा 30 दिन के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचित किया जायेगा, व्यय /शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिन में नही गिना जायेगा)। नोटः यदि सूचना प्रार्थी गरीबी रेखा के नीचे का है उस दशा में सूचना प्रार्थी निःशुल्क सूचना प्राप्त करने का अधिकारी होगा, इसके लिए गरीबी रेखा के नीचे का शासन द्वारा निर्गत कार्ड पर्याप्त सबूत है, जिसकी छायाप्रति सूचना के अनुरोध के साथ संलग्न करना होगा।
7. सूचना निर्गत किये जाने हेतु निर्धारित दिवस :– 30 दिन (मांगी गयी सूचना व्यक्ति के जीवन एवं स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है तब सूचना तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी– 48 घन्टे में)।
8. अपील हेतु निर्धारित अवधिः– सूचना /आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर।

आज्ञा से

लोक प्राधिकारी/ जनपद न्यायाधीश,
हरिद्वार।